राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1278

21 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

1278. श्री के.पी. मुन्नुस्वामी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों का उनकी क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के साथ ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र की दक्षता और कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु एक सहायक वातावरण सृजित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है और संस्थागत तंत्र/ढांचा स्थापित करती है। इस संबंध में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं अर्थात्:-

(i) सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत में बनाए गए इस्पात की खरीद को बढावा देने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौहा एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआई और एसपी)।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात स्क्रैप नीति।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के आयात और विनिर्माण को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।

(iv) इस्पात आयात के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) मूल्यवर्धित इस्पात, अनुषंगियों, पूंजीगत सामग्री आदि के लिए विनिर्माण यूनिटों से युक्त इस्पात कलस्टरों की स्थापना को बढावा देने के लिए मसौदा फ्रेमवर्क नीति।

(vi) इस्पात क्षेत्र को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने पट्टा समाप्त होने वाली लौह अयस्क खानों की नीलामी और उन्हें पुन: आरंभ करने, इस्पात सीपएसई के साथ खनन पट्टे को बढाने, कोकिंग कोयला खानों की नीलामी/आवंटन, कोकिंग कोयला आयात के विविधीकरण आदि के लिए खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है।

(vii) उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी समस्याओं को उठाकर उनका निपटान किए जा सके।

(viii) देश में इस्पात की समग्र मांग को बढाने के लिए रेलवे, रक्षा, तेल एवं गैस, आवासन और नागर विमानन सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श।

****

अनुलग्नक I

अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान क्रूड इस्पात (इकाइयों की संख्या क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग) का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	इकाई	क्षमता# (हजार टन में)	उत्पादन (हजार टन में)	क्षमता उपयोग** (यथानुपात के आधार पर प्रतिशत में;)
पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	3	125.0	0.0	0
असम	6	131.0	14.2	32
बिहार	15	803.0	118.2	44
झारखंड	45	19707.0	4133.3	63
मेघालय	5	181.0	4.7	8
ओडिशा	53	25370.0	5377.6	64
त्रिपुरा	1	30.0	2.4	24
पश्चिम बंगाल	42	9934.6	1639.9	50
पूर्वी क्षेत्र कुल	**170**	**56281.6**	**11290.2**	**60**
पश्चिमी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	79	18785.2	3224.7	51
दादर और नगर हवेली	19	296.0	41.5	42
दमन और दीव	3	46.0	5.5	36
गोवा	12	481.0	105.1	66
गुजरात	59	12754.0	2168.7	51
मध्यप्रदेश	9	553.0	79.4	43
महाराष्ट्र	55	11960.5	1816.1	46
पश्चिमी क्षेत्र कुल	**236**	**44875.7**	**7441.1**	**50**
उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली	2	16.0	1.8	33
हरियाणा	10	952.6	88.0	28
हिमाचल प्रदेश	25	1139.0	128.1	34

जम्मू और कश्मीर	8	189.0	23.3	37
पंजाब	119	4924.0	503.0	31
राजस्थान	36	1176.0	97.5	25
उत्तरप्रदेश	46	1617.0	212.0	39
उत्तराखण्ड	42	1559.0	163.9	32
उत्तरी क्षेत्र कुल	**288**	**11572.6**	**1217.7**	**32**
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्रप्रदेश	27	8391.0	1127.4	40
कर्नाटक	29	15149.0	3163.7	63
केरल	29	480.0	55.9	35
पुदुचेरी	10	340.0	42.1	37
तमिलनाडु	99	3766.0	438.5	35
तेलंगाना	26	1443.0	282.4	59
दक्षिणी क्षेत्र कुल	**220**	**29569.0**	**5110.1**	**52**
कुल समस्त क्षेत्र	**914**	**142298.9**	**25059.1**	**53**

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम; #क्षमता केवल पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सूचित की गई है; **क्षमता उपयोग की यथानुपात के आधार पर गणना की गई है।

****